

विद्युत
कैमूर

संख्या-6/एफ1-307/2019 श्र0सं0-

बिहार सरकार,

श्रम संसाधन विभाग

प्रेषक

गोपाल मीणा,
श्रमायुक्त, बिहार ।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
भागलपुर/भभुआ (कैमूर) ।

पटना, दिनांक-

विषय:-

मुख्य शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार-01-श्रम-114-उत्प्रवासी श्रम कल्याण-मांग संख्या-26-उपशीर्ष-0102-अन्तर्राज्यीय प्रवासी मजदूरों के पुर्नवापसी पर व्यय (विपत्र कोड-26- 2230011140102) एवं मुख्य-2230-श्रम तथा रोजगार-01-श्रम-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- मांग संख्या-26-उपशीर्ष-0103-अन्तर्राज्यीय प्रवासी मजदूरों के पुर्नवापसी पर व्यय (विपत्र कोड-26 2230017890103) के अन्तर्गत CFMS Software से निर्गत किये गये CFMS Order No.- 3330 एवं 3331 Both dated- 17-07-19 के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग से प्राप्त दिशा निर्देश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय एवं योजना मद में प्राप्त बजट उपबंध के विरुद्ध आवंटन CFMS Software से किया जा रहा है। CFMS Software में Text Entry की व्यवस्था नहीं रहने के कारण राज्य योजना अन्तर्राज्यीय प्रवासी मजदूरों के पुर्नवापसी पर व्यय (विपत्र कोड-26-2230011140102) के अन्तर्गत CFMS Software से निर्गत किये गये CFMS Order No.- 3330 एवं 3331 Both dated- 17-07-19 में राशि किस मृत प्रवासी मजदूर के वैध आश्रित हेतु आवंटित की गयी है का उल्लेख संभव नहीं है।

1. CFMS Order No.- 3330 dated- 17-07-19 से आवंटित की गयी राशि को निम्नलिखित मृत प्रवासी मजदूर के वैध आश्रित हेतु निकासी करते हुये निम्न बातों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय-

क्र. सं.	जिला का नाम	मृतक मजदूरों की संख्या	विषयशीर्ष	CFMS Order No.- 3330 dated- 17-07-19 से आवंटित राशि	CFMS Order No.- 3330 dated- 17-07-19 से राशि निम्नलिखित मृत प्रवासी मजदूर के वैध आश्रित के भुगतान हेतु आवंटित की गयी है।
1	2	3	4	5	6
1.	कैमूर (भभुआ)	02	0102.31.06 सहायक अनुदान-गैर वेतन	200000/- (दो लाख)	जिला पदाधिकारी, कैमूर के पत्रांक-223 दिनांक-23.03.19 एवं 225, दिनांक-25.03.19 के आलोक में (1) मृतक-स्व0 अरविन्द कुमार शर्मा, आश्रित संध्या देवी (पत्नी), ग्रा0-भेवार, पो0+प्र0+था0-चौद, जिला- कैमूर (2) मृतक-स्व0 मो0 मुमताज इद्रीस, आश्रित सेम्बुल बेगम (पत्नी), ग्रा0-भभुआ, वार्ड नं0-08, पो0+ प्र0+था0-भभुआ, जिला-कैमूर।

2	भागलपुर	05	तदैव	500000/- (पाँच लाख)	जिला पदाधिकारी, भागलपुर के ज्ञापांक-668, दिनांक-21.05.18 एवं ज्ञापांक-1223, दिनांक - 15.10.18 के आलोक में। (1) मृतक-स्व0 कुन्दन कुमार, आश्रित सुलो देवी (पत्नी), ग्रा0 -टपुआ, रानी दियारा, थाना-एकचारी, प्र0- पीरपैती, जिला-भागलपुर। (2) मृतक-स्व0 प्रेमजीत सिंह, आश्रित अंजू देवी (पत्नी), ग्रा0 -कदवाकासिमपुर, थाना-ढोलबज्जा, नवगछिया, जिला-भागलपुर। (3) मृतक-स्व0 राकेश कुमार तांती, आश्रित रंजू देवी (पत्नी), ग्रा0- मिलकी, थाना-गोराडीह, जिला- भागलपुर। (4) मृतक-स्व0 रमेश यादव, आश्रित ललिता देवी (पत्नी), ग्रा0-आचार्य टोला पकरा, थाना-नवगछिया, जिला-भागलपुर। (5) मृतक-स्व0 मो0 फारुक, आश्रित जहाँआरा (पत्नी), ग्रा0-सुखसैना, थाना-सन्हौला, प्र0-सन्हौला, जिला-भागलपुर।
	कुल	7		700000/-	

CFMS Order No.- 3330 dated- 17-07-19 से आवंटित राशि रूपये ₹ 7,00,000/- (₹ सात लाख) मात्र ।

2. CFMS Order No.- 3331 dated- 17-07-19 से आवंटित की गयी राशि को निम्नलिखित मृत प्रवासी मजदूर के वैध आश्रित हेतु निकासी करते हुये निम्न बातों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय-

क्र. सं.	जिला का नाम	मृतक मजदूरों की संख्या	विषयशीर्ष	CFMS Order No.- 3331 dated- 17-07-19 से आवंटित राशि	CFMS Order No.- 3331 dated- 17-07-19 राशि निम्नलिखित मृत प्रवासी मजदूर के वैध आश्रित के भुगतान हेतु आवंटित की गयी है।
1	2	3	4	5	6
1.	भागलपुर	01	0103.31. 06 सहायक अनुदान-गैर वेतन	100000/- (एक लाख)	जिला पदाधिकारी, भागलपुर के ज्ञापांक- 668, दिनांक-21.05.18 के आलोक में मृतक-स्व0 जलधर पासवान, आश्रित कंचन कुमारी (पत्नी), ग्रा0- विशनपुर, पो0-सिमरिया, थाना- कजरैली, जिला- भागलपुर।
	कुल	01		100000/-	

CFMS Order No.- 3331 dated- 17-07-19 से आवंटित राशि रूपये ₹ 1,00,000/- (₹ एक लाख) मात्र ।

2. यह राशि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-1907 दिनांक-03.05.19 के आलोक में चालू वित्तीय वर्ष-2019-20 में "बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजनान्तर्गत" अनुदान की राशि रू० 1,00,000/- (रूपये एक लाख) मात्र प्रति मृतक मजदूर की दर से उनके आश्रित को भुगतान हेतु आवंटित की गयी है।

3. अनुरोध है कि बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना नियमावली, 2008 के तहत इसकी जाँच पड़ताल कर मृतक के वैध आश्रित को भुगतान किया जाय। भुगतान के पश्चात् इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र इस विभाग को फैक्स/स्पीड पोस्ट द्वारा शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट किया जाय।

4. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-256/वि0 दिनांक-26.02.19, एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापांक-2561/वि0 (2) दिनांक 17.04.98 के आलोक में है ।
5. इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय। यदि आवंटित राशि से अधिक व्यय किया जाता है तो वह अनियमित होगा ।
6. आवंटित राशि से हुए व्यय की सूचना विहित प्रपत्र में आवश्यक टी0भी0 नं0 तथा तिथि के साथ निकासी के उपरांत अविलम्ब निश्चित रूप से उपलब्ध करा दें ।
7. विभागीय अधिसूचना सं.-1/आई.एम.एल.-06/2016 श्र.सं.-3023 दि.-14.7.16 के आलोक में लाभूकों को अनुदान की राशि का भुगतान RTGS (Real Time Gross Settlement) पद्धति से उनके बैंक खाते में किया जायेगा।
8. आवंटित राशि को नियमानुसार जाँच कर उन्हीं मृत/आंशिक अपंग/पूर्ण अपंग प्रवासी मजदूरों को उपलब्ध कराया जिन्हें पूर्व में इस हेतु लाभांशित नहीं किया गया हो।
9. यह आवंटन राज्य योजना से संबंधित है ।

ह0/-

(गोपाल मीणा)

श्रमायुक्त, बिहार ।

ज्ञापांक: 6/एफ1-307/19 श्र0सं0-

3185

पटना, दिनांक 18.7.19

प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी/संबंधित उप श्रमायुक्त/संबंधित श्रम अधीक्षक /आई०टी०मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/प्रशाखा-2 सरकार पक्ष/संयुक्त श्रमायुक्त-1 एवं प्रशाखा-01 को उनके गै०स०प्रे०सं०-144 (श्रम पक्ष) दिनांक-07.05.19 एवं गै०स०प्रे०सं०-199 (श्रम पक्ष) दिनांक-02.07.19 के आलोक में/ प्रशाखा-6, बजट शाखा, श्रम पक्ष एवं व्यय विवरणी शाखा प्रशाखा-6, श्रम पक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. उपयोगिता प्रमाण-पत्र का संधारण संबंधित योजना शाखा (प्रशाखा-01) द्वारा किया जायेगा ।

18/7/19

(गोपाल मीणा)

श्रमायुक्त, बिहार।